(वाद संख्या–4644/14)

16.08.2019

परिवादी, सुनीता देवी, पत्नी सुरेन्द्र कुमार राम उर्फ सुरेन्द्र चौपाल उपस्थित हैं। परिवादी को सुना।

प्रस्तुत मामला परिवादी के चौकीदार पति को व्यक्तिगत दुराग्रहवश निलंबित करने, उन पर आपराधिक मामला दर्ज करने, उन्हें वेतन का भुगतान आदि न करने के आधार पर दिया गया है, जिस पर जिला पदाधिकारी, मधुबनी से प्रतिवेदन की मांग की गयी।

जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी के पति के विरूद्ध लंबित विभागीय कार्रवाई के फलाफल के आधार उनके सरकारी सुविधा व लाभ आदि के प्रश्न पर अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा (पृ0–47/प0)। उक्त के आलोक में परिवादी की ओर से प्रतिउत्तर (पृ0–122/प0) दिया गया है।

परिवादी का कथन है कि उसने झंझारपुर थानान्तर्गत, अडरिया–संग्रामपुर ओ0पी0 में चौकीदार के पद पर 29.11.2016 को योगदान दे दिया है तथा योगदान के उपरान्त उसे नियमित रूप से वेतन का भुगतान हो रहा है। बकाया वेतन के भुगतान हेतु उसकी ओर से माननीय पटना उच्च न्यायालय में एक CWJC संख्या 1180/2016 दाखिल किया गया था जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जिला पदाधिकारी, मधुबनी को आदेश/परिवादी के अभ्यावेदन प्राप्ति की तिथि से तीन माह के अंदर सकारण आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया। परिवादी का कथन है कि उसकी ओर से माननीय न्यायालय के उक्त आदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी, मधुबनी को अभ्यावेदन दिया जा चुका है। परन्तु अभी तक जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा सकारण आदेश पारित नहीं किया गया है।

अतः उक्त परिस्थिति में आयोग के स्तर से प्रस्तुत मामले को बंद किया जाता है।

तद्नुसार आदेश की प्रति के साथ परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक